न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री हुक्मीचन्द रोहलानियाँ (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 111/2018 **RCMS 2018/00323**

प्रार्थी

1. नेमाराम पुत्र स्वर्गीय भोलाराम जाति जाट उम्र 57 साल निवासी सुरतपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामनसिटी।
2. मोहनीदेवी पत्नी भोलाराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
3. भागूराम पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री मोहम्मद हनीफ एडवोकेट कुचामनसिटी प्रार्थी की ओर से।
श्री टोडाराम अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 07/08/2024

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कर सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम सुरतपुरा तहसील पटवार मण्डल चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी के वर्तमान खसरा नम्बर 189 रकबा 4.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.91 हैक्टर कुल रकबा 5.29 हैक्टर बारानी द्वितीय क खातेदार प्रार्थी के पिता श्री भोलाराम के नाम दर्ज हुई, भोलाराम की मृत्यु के बाद अन्तर्गत धारा 38 व 40 काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 426 दिनॉक 06.04.2018 के जरिये प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 के नाम प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से निहीत हो गयी। ग्राम सुरतपुरा पटवार हल्का चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित पुराने खसरा नम्बर 139 रकबा 126 बीघा बारानी द्वितीय कृषि भूमि गत सेटलमेन्ट के समय सह खातेदार काश्तकार किसना नारायण डालू पिता श्री भोमा का 1/2 हिस्सा एवं उदा धना पिसरान पीथा जाट निवासी सुरतपुरा 1/2 हिस्सा के संयुक्त रूप से काबिज खातेदार काश्तकार थे, इस प्रकार प्रार्थी के पिता भोलाराम के पिता अर्थात प्रार्थी के दादाजी उदाराम वल्द पीथा जाति जाट निवासी ग्राम सुरतपुरा उक्त गत खसरा नम्बर 139 रकबा 126 बीघा बारानी द्वितीय में 63 बीघा कृषि भूमि के काबिज खातेदार अभिधारी थे, पूर्व में ग्राम चावण्डिया से ही नये राजस्व ग्राम के रूप में सुरतपुरा गांव घोषित किया गया है, पुरानी नावां तहसील में द्वितीय भू–प्रबन्ध संक्रियाओ के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियो ने लापरवाही गफलत एवं मनमाने तरीके से गत खसरा नम्बर 139 रकबा 126 बीघा के नये खसरा नम्बर 189 रकबा 4.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 190 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 3.11 हैक्टर कुल रकबा 8.67 हैक्टर कर दिये, सेटलमेन्ट विभाग नवीन गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख जमाबंदी नक्शा ट्रेस से भूलवश गलत रास्ता की प्रविष्टि अंकित कर प्रार्थी के वैध कब्जे व खातेदारी की कृषि भूमि में से रकबा 0.0730 हैक्टर कृषि भूमि का रकबा कम कर दिया। गत सेटलमेन्ट के नक्शा ट्रेस के गत खसरा नं0 139 में कही भी रास्ता दर्ज नही है यह सब नक्शा ट्रेस के अवलोकन से साफ स्पष्ट है। इसके बावजुद सेटलमेंट विभाग के राजस्व कर्मचारियों ने वर्ष 1986–87 [illegible] जाकर उपरोक्त पुराने खसरा नम्बर 139 के हाल खसरा नम्बर 189 के दक्षिणी सीव पर [illegible] से पश्चिम दिशा की तरफ रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.10.22 16:51:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

अंकित कर दिया गया
खसरा नम्बर 215 रूप में 0.0730 हैक्टर नवीन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकित कर दिया गया
एतदर्थ गलत एवं विधि विरूद्व जाकर खसरा नम्बर 215 में गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर भूमि कि
किस्म राजस्व अभिलेख में बदल दी। जबकि गत खसरा नम्बर 139 का वक्त द्वितीय सेटलमेंट से
ही पीथराम का परिवार ही काबिज खातेदार थे और खसरा नम्बर 189 पटवार मण्डल चावण्डिया
की सहरद का अन्तिम छोर था तथा वक्त नवीन सेटलमेंट खसरा नम्बर 189 की दक्षिण सींव के
सहारे-सहारे पश्चिम दिशा के बाद ग्राम बरालपुरा की सरहद पर आगे जाने वास्ते रास्ता मौजुद
नही था इस कारण खसरा नम्बर 189 की दक्षिणी सींव पर नवीन रास्ते की प्रविष्टि भू प्रबन्ध विभाग
द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अंकित की है जिसे शुद्व किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
नये खसरा नम्बर 191 में से होकर नये खसरा नम्बर 189 में जाने के लिये प्रार्थी को नवीन रास्ते
खसरा नम्बर 215 रकबा 0.00730 हैक्टर की आवश्यकता थी ही नहीं क्योंकि उक्त अंकित खसरा
नम्बर 215 अकेले प्रार्थी के पिता भोलाराम व उनके भाई उदा के ही खातेदारी अधिकार में होने से
खसरा नम्बर 189 से चिपते ही ग्राम सुरतपुरा से चावण्डिया कुचामन शहर की ओर जाने वाला मार्ग
पहले से अस्तित्व में आया हुआ था, जब गत भू अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज ही
नही था इसके बावजूद बिना कानूनी अधिक़ार के द्वितीय सेटलमेंट के वक्त भू प्रबन्धक अधिकारियों
एवं कर्मचारियों को प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि का रकबा कम करने का कोई
अधिकार नहीं होते हुए भी प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे के कुल क्षेत्रफल में से 0.0730 हैक्टर कृषि
भूमि घटाकर प्रार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना भू राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि में
कृषि भूमि कि किस्म बारानी द्वितीय से बदलकर नवीन गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया, चूंकि
खसरा नम्बर 189 में से होकर मौके पर तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होते हुए भी खसरा नम्बर
189 में दक्षिण में खसरा नम्बर 215 के रूप में अल्ट्रा वायरस रास्ता दर्ज कर दिया, फलतः भू
प्रबन्धक विभाग की विधि विरूद्व एवं अवैधानिक कार्यवाही के कारण खसरा नम्बर 215 के रूप में
दर्ज गैर मुमकिन रास्ते को सुधार कर प्रार्थी की खातेदारी के बारानी द्वितीय में पुनः रकबा 0.0730
हैक्टर बारानी द्वितीय के रूप में राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि में दर्ज करना न्यायोचित है। खेत
खसरा नम्बर 189 किस्म बारानी द्वितीय में से रास्ता नहीं होते हुए भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना
प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये नया रास्ता कायम करना गलत होने से उक्त खसरा नम्बर 215
गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.0730 हैक्टर के रूंप कायम करने की अधिकारिकता नहीं होने से गलती
से राजस्व रेकर्ड की गयी अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व कर पुनः प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की
खातेदारी के खसरा नम्बर 189 बारानी द्वितीय में अंकन करना न्यायोचित है। खसरा नम्बर 190
बारानी दोयम में से होकर खसरा नम्बर 189 में जाने के लिए कभी भी कोई रास्ता मौके पर नही
रहा है, क्योंकि खसरा नम्बर 189 एवं खसरा नम्बर 189 बारानी द्वितीय दोनो ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी
संख्या 2 व 3 के संयुक्त कब्जे की खातेदारी के रहे है, वस्तुतः खसरा नम्बर 189 बरानी द्वितीय के
दक्षिण में जो पूरब से पश्चिम दिशा का रास्ता रेवन्यू रेकर्ड में दर्ज किया गया है जबकि इसमें कभी
रास्ता आम नहीं था फिर भी भूलवश गफलत में गैर मुमकिन रास्तो को अशुद्व प्रविष्टि दर्ज हो गयी
है इसलिए भी वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि खसरा नम्बर 215 के रूप में दर्ज गैर मुंमकिन
रास्ता को शुद्व कर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज करना जरूरी है। पुरानी पैमाईश में खसरा नम्बर
139 बारानी दोयम कृषि भूमि कब्जे व खातेदारी में दर्ज थी जिससे खसरा नम्बर 189 में से होकर
जाने के लिए अलग रास्ता की आवश्यकता ही ... राजस्व कर्मचारियों में भूल,
गफलत/सहवन से बिना किसी वैधानिक कार्यवाही किये ... कर प्रार्थी की खातेदारी सुदा
कृषि भूमि में से उसकी खातेदारी सुदा बारानी ... की किस्म ... कर गैर मुमकिन रास्ता अंकित
कर दिया, जिससे भी प्रार्थी राजस्व अभिलेख के खसरा नम्बर 215 गैर मुमकिन रास्ते की प्रविष्टि

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.10.22 16:51:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

शुद्ध किये जाने योग्य है अन्यथा प्रार्थी को भारी आर्थिक एवंम मानसिक क्षति हुई है। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व अधिकार अभिलेख मे दर्ज गलत प्रविष्ट में सुधार कराने वास्ते यह आवेदन पेश करना किया जा रहा है। कि प्रार्थी को राजस्व अधिकार अभिलेख में दर्ज उक्त गलत प्रविष्टि का ईल्म पूर्व में नही था दिनांक 06.04.2018 को जमाबंदी में नामान्तकरण प्रविष्टि दर्ज कराने पर द्वितीय भू प्रबन्ध के दौरान हुए उक्त गलत कार्यवाही की जानकारी हुई है इसलिए इससे पूर्व प्रतिकार नहीं कर सका। राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने पर सेटलमेंट विभाग के कारिदो द्वारा संवहन से किये गए अधिकारितीत गलत इन्द्राज की प्रार्थी के ज्ञान व जानकारी आया है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि मौजा सुरतपुरा पटवार मण्डल चावण्डिया के अधिकार अभिलेख में दर्ज भू–राजस्व प्रविष्टि वर्तमान खसरा नम्बर 215 के रूप में रकबा 0.00730 हैक्टर के रूप में अंकित अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व करउसे पुनः अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खातेदारी हक में दर्ज कर प्रार्थी के भोगाधिकार में करने के आदेश फरमाने की कृपा करावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक–पक्षीय कार्यवाही की गई, अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया। प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा ट्रेस किश्तवार गत खसरा नम्बर 139 एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस की छाया प्रति, मिलान क्षेत्रफल की नकल, नकल खतौनी सम्वत 2072–2075, 2076–2079, खतौनी सम्वत 2008 की नकल प्रस्तुत की। प्रकरण में तहसीलदार कुचामनसिटी से मौका रिपोर्ट तलब की गई, तहसीलदार कुचामनसिटी ने अपने पत्रांक/भू.अ./1662 दिनॉक 23.10.2019 के साथ पटवारी हल्का चावण्डिया एवं निरीक्षक भू.अ.चितावा की मौका रिपोर्ट दिनॉक 21.10.2019 प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2008 ग्राम चावण्डिया के खसरा नम्बर 139 रकबा 126 बीघा किस्म बारानी दोयम में किशनाराम नारायण डालू पि. भोमा 1/2 उदा धना पि. पीथा कौम जाट 1/2 सा. देह खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2072–2075 ग्राम सुरतपुरा पटवार मण्डल चितावा के खसरा नम्बर 189 रकबा 4.38 हैक्टर बारानी दोयम खसरा नम्बर 214 रकबा 0.91 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 5.29 हैक्टर में मोतीराम वल्द उदाराम कौम जाट सा. देह खातदार राहिन सी.बी.आई. बैंक शाखा कुचामनसिटी मूर्तहीन नामा. सं. 426 दिनॉक 6.4.2018 विरासत से भोलाराम पुत्र उदाराम के फौत होने पर मोहनीदेवी पत्नी भोलाराम 1/3 नेमाराम 1/3 भागुराम 1/3 पि. भोलाराम जाति जाट स्वीकृत हुआ रहन बदस्तूर रहा, नकल खतौनी सम्वत 2076–2079 ग्राम सुरतपुरा के खसरा नम्बर 215 रकबा 0.39 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज है, आंशिक नकल मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 139 के नये खसरा नम्बर 189, 190, 191, 192 दर्ज हुये। *"पटवारी हल्का चावण्डिया एवं निरीक्षक भू.अ.चितावा की संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनॉक 21.10.2019 अनुसार खसरा नम्बर 215 में बिन्दू सं. ए से बी तक रास्ता चालू है तथा बिन्दू संख्या बी से सी तक बन्द है जिसे नेमाराम वगैरह द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि में मिला रखा है जिसकी धारा 91 की कार्यवाही तहसीलदार कुचामनसिटी के न्यायालय मे विचाराधीन रही है, मिसल बन्दोबस्त 2008 में पुराना खसरा नम्बर 139 रकबा 126 बीघा के नये खसरा नम्बर 189, 190, 191, 192, 213, 214, 215, 216, 217, बने है जिनका कुल रकबा 20.40 हैक्टर होत[illegible] 126 बीघा के 20.3961 हैक्टर होते है, उक्त रास्ते की भूमि रास्ते के खसरा न[illegible] 215 [illegible]बा 0.39 हैक्टर नये भू–प्रबन्ध द्वारा कायम किये गये है जिसके पुराने खसरा [illegible] 139 [illegible] 0.39 है [illegible] खसरा नम्बर 212*

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.10.22 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मि. बनाये है परन्तु 212 मिन से कितना रकबा लिया है वो नही बताया है "। सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शा ट्रेस में कही पर भी रास्ता दर्ज नही है। जबकि नये खसरा नम्बर 189 की दक्षिणी सींव पर पूर्व से पश्चिम रास्ता कायम किया गया है, खसरा नम्बर 189 की सीमा पर कायम रास्ता रिपोर्ट मौका पटवारी हल्का बिन्दू संख्या C से B तक मौके पर बन्द है। जिससे आमजन को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है तथा खसरा नम्बर 215 रकबा 0.39 हैक्टर गै.मु.रास्ता पगडंडियॉ तथा रास्ते सिवाय चक खाता संख्या 1 में सराकरी भूमि दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर प्रचलित रास्ता है जो सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। जिसके खातेदारी अधिकार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रोदभूत नही हो सकते। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं मौका रिपोर्ट इत्यादि से किसी भी प्रकार से साबित नही होता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 07/08/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हुक्मीचन्द रोहलानियॉ RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.10.22 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner